न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

प्रार्थना पत्र संख्या 09/2025 पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

वजरंग लाल वगैरह वनाम किरोड़ीमल वगैरह

प्रार्थना पत्र इन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2 तथा 151 सीपीसी

दिनांकः— 03.04.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कुमास तहसील मण्डावा की सरहद में भूगि हाल खाता नम्बर 88 जिसके हाल खरारा नम्बर 56 रकवा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 56 रकवा 0.67 हैक्टर, कुल किता 2 रकवा 1.34 हैक्टर भुमि स्थित है। जिसके गत खसरा नम्बर 17/1 रकवा 5 बीधा 6 विश्वा भूमि है। वर्णित भूमिभीराम पुत्रखवारा की खातेदारी काहाकारी रही जो कि उका वर्णित भूमि में बहैसियत खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) जीवनपर्यन्त काविज रहे व कारत करते रहे। श्रीकराम पुत्र खिवाराम का स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण के पिता मोटाराम काविज काश्त हुआ जो प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में वहैसियत खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) जीवन्त पर्यन्त काबिज रहे व कास्त करते रहे। मोटाराम पुत्र भीवाराम का स्वर्गवास हो चुका हैं। मोटाराम पुत्र भीवाराम का स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण व मोटाराम की पत्नी नारायणी देवी व मोटाराम की पुत्री सावित्री देवी बहिस्सा बराबर 1/5, 1/5 खातेदार कास्तकार हुवे व काविज कास्त हुवे नारायणी देवी पत्नी मोटाराम का स्वर्गवास हो चुका हैं व सावित्री देवी पुत्री मोटाराम ने अपना हिस्सा आवेदकगण के हक में हकत्याग कर दिया जिससे आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 भोतिक रूप से काबिज कास्त हुवे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये।प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि को आवेदकगण संयुक्त रूप से अपने 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त बहैसियत खातेदार चले आ रहे है व काविज है। आवेदकगण नोकरी पेशे के कारण शहर मे रहने के कारण अपने खेत को अनावेदककगण संख्या 1 लगायत 3 को दिनांक 14/11/2023 को आवेदकगण अपने पैतृक हिस्से की प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि काश्त हेतु 11 माह हेतुवटाई पर वी जब विनांक 14/10/2024 को आवेदकगण ने अनावेदकगण संख्या लगायत 3 को जब प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि को खाली करने हेतु कहा तो अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 ने कहा कि जनवरी 2025 में हम आप की भुमि खाली कर देंगे। जब आवेदकगण ने 15/01/2025 को विवादित भूमि को खाली करने हेतु कहा तो अनावेदकगण एकराय होकर आवेदकगण के हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को अपने हिस्से की भुमि बताते हुए उस पर जबरन लाठी के बल पर उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया और आवेदकगण को ऐलानिया धमकी दी कि अगर अनावेदकगण 1 लगायत 3 के द्वारा किये गये उक्त कब्जे को आवेदकगण ने हटाने की कोशिश की तो वे उन्हे जान से खत्म कर देंगे। अनावेदकगण 1 लगायत 3 भूमाफिया है व आपराधिक प्रवर्ति के है। उन्होने जबस्न लाठी के बल पर आवेदकगण के हक हिस्से के पैतृक खातेदारी काश्तकारी के खेत प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर नाजायज व गैरकानूनी रूप जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अनावेदकगण 1 लगायत 3 द्वारा नाजायज व गैर कानूनी रूप से किया गया कब्जा हटवाया जाकर पुनः आवेदकगण को कब्जा दिलवाया जावें।आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अनावेदकगण 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर आवेदकगण को जबरन बेदखल कर दिया है व आवेदकगण को फसल नेहाती पर कर दिया है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकारही है। इसलिए अनवेदकण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद करमाया जाते कि वे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी के खेत पर आवेदकगण को फसल काटने व लाटने से ना रोके अनावेडकगण विवादित खेत में खड़े पेड ना काटे. खड्डे इत्यादी खोदकर भूमि की किस्म परिवर्तित ना करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से ना करावें जिससे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी हकों पर विपरीत असर पडे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

पक्ष में है अगर तादौरान दावा अनावेदकगण उक्त वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है या किसी प्रकार से उक्त भूमि में कच्चा, पक्का निर्माण कार्य या उक्त भूमि को रहन, दान, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देते है तो आवेदकगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जायेगा तथा आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।आवेदकगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञापत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद फरमया जावे कि आवेदकगण के हक व हिस्से 1/3 1/3 खातेदारी काश्तकारी (टिनेन्सी) के खेत वाके ग्राम कुमारा तहसील मण्डावा की सरहद में भूमि हाल खाता नम्बर 88 जिराके हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.67 हेक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भुमि पर फराल काटने व लाटने से ना रोके, इसी प्रकार अनावेदकगण को पाबंद फरमाया जायें कि विवादित भूमि में खड़ें इत्यादी खोदकर, पेड इत्यादी काटकर विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित ना करें। कोई निर्माण कार्य ना करें, ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से ना करवायें जिससे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी (टिनेन्सी) हकों पर विपरीत असर पडे, अनावेदकगण मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, लगायत03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्र द प्रार्थना पत्र की मद नं. में दावा पेश होना स्वीकार है परन्तु दावा गलत पेश किया गया है इसलिये खारीज होने योग्य है।प्रार्थना पत्र की मद न. 2 भूमि के खसरा नम्बर व रकबा से सम्बन्धित है जिसका विवाद नहीं है परन्तु उक्त भूमि को मौके पर अनावेदक न. 1 लगायत 3 काश्त करते है एंव काबिज है।प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 खींवाराम की वंशावली से सम्बन्धित है परन्तु उक्त भूमि को बजरंगलाल, मोहनलाल व मदनलाल ने कभी काश्त नहीं किया। आवेदकगण मोटाराम के वारिसान है। मोटाराम ने अपनी उक्त खेत को जिसको खारियावाला खेत के नाम से जाना जाता है को 1000 रूपये बीघा के हिसाब से 14000 रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त करके मालाराम कटारिया को विक्रय कर दिया तथा कब्जा मालाराम को सम्भला दिया तब से दिनाक 25.04.1982 से मालाराम ने काश्त किया एंव काबिज रहा था।मालाराम की मृत्यु के पश्चात मालाराम व गणपतराम के वारिसान भाई बंटवारा के अनुसार अलग अलग काश्त करते है एंव काबिज है।प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 में कथन है कि भींवाराम की खातेदारी की भूमि थी जो भींवाराम की खातेदारी के पश्चात मोटाराम को मिली। मोटाराम ने दिनाक 25.04.1982 को जरिये इकरारनामा विकय बही में लिखावट करके उक्त भूमि मालाराम को विक्रय कर दी तथा दिनाकं 25.04. 1982 के पश्चात मालाराम ने उक्त भूमि को काश्त किया उसके पश्चात अनावेदक नं. 1 लगायत 3 उक्त भूमि को काश्त करते है एंव काबिज है। दिनाक 25.04.1982 के पश्चात ना तो मोटाराम का कब्जा रहा ना ही मोटाराम व उनके वारिसान का कब्जा रहा। यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर बराबर 1/3 भौतिक रूप से कब्जा काश्त है।प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को आवेदकगण सयुंक्त रूप से अपने 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। यह तथ्य भी गलत दर्ज किया है कि दिनाकं 14.11.2023 को 11 माह हेतु भूमि बंटाई पर दी हो बंटाई पर देने तथा भूमि को खाली करने के तथ्य गलत दर्ज किये है। जबकि सही तथ्य यह है कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि मोटाराम ने जरिये इकरारनामा बही में लिखकर दिनाकं 25.04.1982 को मालाराम को विक्रय कर दी तथा 14000 रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली मालाराम ने अपने जीवन प्रर्यन्त उक्त भूमि को काश्त किया मालाराम केखरू10 च्ड, 4/3/2025, तअपीरू पश्चात अनावेदकगण लगायत भूमि को काश्त करते है एवं काबिज है। अनावेदक 11 लगायत का कब्जा विधिनुकुल है तथा 42 वर्षो से उक्त भूमि पर मालाराम व उसके पश्चात उसके वारिसान काबिज है प्रार्थना पत्र की मद नं 8 में सभी तथ्य झूठे एंव गलत अंकित किये है।प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि अनावेदक नं. 1 लगायत 3 ने गलत कब्जा किया है अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 का कब्जा अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता। आवेदकगण अनावेदक नं. 1 लगायत ३ को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण दावा व प्रार्थना पत्र में एक तरफा कथन करते है कि वो काबिज काश्त है तथा दुसरी तरफ बेदखल करने का कथन करते है जो विरोधाभाषी है एक साथ नहीं चल सकते है।प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। आवेदकगण का न तो प्रथम द्वष्टिया मामला है न सुविधा का सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिये आवेदकगण अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है।प्रार्थना पत्र की सिद्धि अस्वीकार है। आवेदकगण अनावेदकगण नं. १ लगायत ३ को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि मौके पर फसल अनावेदकगण नं 1 लगायत 3 ने कास्त कर रखी है।अतिरिक्त उत्तर11– यह कि मोटाराम का एक खेत जिसको खारियावाला खेत के नाम से जाना जाता है जो अनावेदक नं. 1 लगायत 3 के खेत के पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके हाल ख.न. 55 व 56 है उक्त खेत को दिनाक 25.04.1982 को 14000 रूपये प्रतिफल राशि लेकर मोटाराम ने मालाराम को विक्रय कर दिया तथा कब्जा मालाराम को सम्भला दिया उसी दिन से उक्त भूमि को मालाराम ने काश्त किया एंव काबिज रहा उसके पश्चात अनावेदक नं. 1 लगायत 3 उक्त भूमि को काश्त करते है एव काबिज है। ख.न. 55 व 56 में सरसों की फसल की बुवाई की हुई है जिसको अनावेदक नं. 1 लगायत 3 अपने ख.न. 48, 49 व 50 में जो विद्युत सम्बन्ध है उससे भूमिगत पाईप लाईन डालकर काश्त कर रखी है उक्त खेत ख.न. 55 व 56 के कोई रास्ता नहीं है।आवेदकगण ने तथ्य छुपाकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त भूमि पर दिनाकं 25.04.1982 से आवेदकगण का कब्जा नहीं है तथा बेदखली की मियाद निकल चुकी है इसलिये आवेदकगण का दावा मियाद बाहर होने से दावा व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बाके ग्राम कुमास तहसील मण्डावा की सरहद में भूगि हाल खाता नम्बर 88 जिसके हाल खरारा नम्बर 56 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.67 हैक्टर, कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टर भुमि स्थित है। वर्णित भूमि श्री राम पुत्रखवारा की खातेदारी काहाकारी रही जो कि उका वर्णित भूमि में बहैसियत खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) जीवनपर्यन्त काबिज रहे व कारत करते रहे। श्रीकराम पुत्र खिवाराम का स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण के पिता मोटाराम काबिज काश्त हुआ जो प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में बहैसियत खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) जीवन्त पर्यन्त काबिज रहे व कास्त करते रहे। मोटाराम पुत्र भीवाराम का स्वर्गवास हो चुका हैं। मोटाराम पुत्र भीवाराम का स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण व मोटाराम की पत्नी नारायणी देवी व मोटाराम की पुत्री सावित्री देवी बहिस्सा बराबर 1/5, 1/5 खातेदार कास्तकार हुवे व काबिज कास्त हुवे नारायणी देवी पत्नी मोटाराम का स्वर्गवास हो चुका हैं व सावित्री देवी पुत्री मोटाराम ने अपना हिस्सा आवेदकगण के हक में हकत्याग कर दिया जिससे आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 भोतिक रूप से काबिज कास्त हुवे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये। जब आवेदकगण ने 15/01/2025 को विवादित भूमि को खाली करने हेतु कहा तो अनावेदकगण एकराय होकर आवेदकगण के हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को अपने हिस्से की भुमि बताते हुए उस पर जबरन लाठी के बल पर उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया । आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अनावेदकगण 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर आवेदकगण को जबरन बेदखल कर दिया है व आवेदकगण को फसल नेहाती पर कर दिया है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकारीनहीं है। इसलिए अनवेदकण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद करमाया जाते कि वे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी के खेत पर आवेदकगण को फसल काटने व लाटने से ना रोके अनावेडकगण विवादित खेत में खड़े पेड ना काटे. खड्डे इत्यादी खोदकर भूमि की किस्म परिवर्तित ना करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से ना करावें जिससे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी हकों पर विपरीत असर पडे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है अगर तादौरान दावा अनावेदकगण उक्त वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है या किसी प्रकार से उक्त भूमि में कच्चा, पक्का निर्माण कार्य या उक्त भूमि को रहन, दान, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देते है

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

हिस्सा आवेदकगण के हक में हकत्याग कर दिया जिससे आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 2 मैं वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 भोतिक रूप से काबिज कास्त हुवे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये। जब आवेदकगण ने 15/01/2025 को विवादित भूमि को खाली करने हेतु कहा तो अनावेदकगण एकराय होकर आवेदकगण के हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को अपने हिस्से की भुमि बताते हुए उस पर जबरन लाठी के बल पर उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया । आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अनावेदकगण 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर आवेदकगण को जबरन बेदखल कर दिया है व आवेदकगण को फसल नेहाती पर कर दिया है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकारीनहीं है। इसलिए अनवेदकण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद करमाया जाते कि वे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी के खेत पर आवेदकगण को फसल काटने व लाटने से ना रोके अनावेडकगण विवादित खेत में खड़े पेड ना काटे. खड्डे इत्यादी खोदकर भूमि की किस्म परिवर्तित ना करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से ना करावें जिससे आवेदकगण के खातेदारी काश्तकारी हकों पर विपरीत असर पडे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है अगर तादौरान दावा अनावेदकगण उक्त वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है या किसी प्रकार से उक्त भूमि में कच्चा, पक्का निर्माण कार्य या उक्त भूमि को रहन, दान, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देते है तो आवेदकगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जायेगा तथा आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि मोटाराम का एक खेत जिसको खारियावाला खेत के नाम से जाना जाता है जो अनावेदक नं. 1 लगायत 3 के खेत के पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके हाल ख.न. 55 व 56 है उक्त खेत को दिनाक 25.04.1982 को 14000 रूपये प्रतिफल राशि लेकर मोटाराम ने मालाराम को विक्रय कर दिया तथा कब्जा मालाराम को सम्भला दिया उसी दिन से उक्त भूमि को मालाराम ने काश्त किया एंव काबिज रहा उसके पश्चात अनावेदक नं. 1 लगायत 3 उक्त भूमि को काश्त करते है एव काबिज है। ख.न. 55 व 56 में सरसों की फसल की बुवाई की हुई है जिसको अनावेदक नं. 1 लगायत 3 अपने ख.न. 48, 49 व 50 में जो विद्युत सम्बन्ध है उससे भूमिगत पाईप लाईन डालकर काश्त कर रखी है उक्त खेत ख.न. 55 व 56 के कोई रास्ता नहीं है।आवेदकगण ने तथ्य छुपाकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त भूमि पर दिनाकं 25.04.1982 से आवेदकगण का कब्जा नहीं है तथा बेदखली की मियाद निकल चुकी है इसलिये आवेदकगण का दावा मियाद बाहर होने से दावा व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। मिसल में पेश किया गये राजस्व रिकार्ड एवं जमाबन्दी के अनुसार विवादित जमीन की खातेदारी वर्तमान में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीपक्ष के पास कोई रिकार्डेड खातेदारी अधिकार नहीं है। अप्रार्थी पक्ष वकील का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज मोटाराम से क्रय की थी तथा तभी से कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिती में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए उभय पक्षकारान को पांबन्द किया किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौके की स्थिती बनाये रखें तथा शेष आदेश यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा